राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आदेश ::

S.B. Cri. Leave to Appeal No.-192/2018

Jagdish

Versus

State of Rajasthan

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पवन कुमार वर्मा।

:: आदेश :: **30.4.2018**

न्यायालय द्वारा :–

अधीनस्थ न्यायालय सैशन न्यायाधीश, बूंदी द्वारा **अपील संख्या 173/2012, सी आई एस नम्बर 548/2014** में पारित निर्णय दिनांकित **17.3.2018**, जिसके तहत अपीलार्थी अभियोगी की ओर से प्रस्तुत फौजदारी अपील अस्वीकार की जाकर **न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2 बून्दी** द्वारा **दिनांक 4.10.2012** को प्रत्यर्थी–अभियुक्तगण के क्रम में की गई दोषमुक्ति के निर्णय को संपुष्ट किया गया, के क्रम में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध पेश की गई है।

आज अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता से इस लीव टू अपील की पोषणीयता के क्रम में पूछा गया तो विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वे मामले की तथ्यात्मक एवं

कानूनी स्थिति की रोशनी में विधिनुसार कार्यवाही करने/ रिवीजन पेश करना चाहते हैं, अतः इस लीव टू अपील पर बल नहीं देते हैं।

परिणामस्वरूप यह लीव टू अपील बल नहीं दिए जाने के आधार पर इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी– अभियोगी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध उचित उपचार पाने के क्रम में विधिनुसार कार्यवाही करने/ रिवीजन पेश करने एवं इस न्यायालय में वर्तमान लीव टू अपील के क्रम मे लगे समय के क्रम में देरी को क्षम्य करने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस लीव टू अपील में अपीलार्थी–अभियोगी की ओर से जो मूल अथवा प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं, उनकी फोटो–प्रतियां प्रस्तुत किए जाने पर उक्त मूल/ प्रमाणित दस्तावेज नियमानुसार बाद प्राप्ति रसीद अपीलार्थी–अभियोगी के योग्य अधिवक्ता को प्रदान कर दी जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/54
उपरोक्त निर्णय/आदेश भारत सरकार का राजपत्र संख्या–1, दिनांक 02 जनवरी, 1999 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संकल्प/नोटिफिकेशन के तहत संबंधित भाषा (हिन्दी) में खुले न्यायालय में लिखाया गया।